बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (IV) योजना– 21/ 2019– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 में 100 (एक सौ) **Dual Desk** के क्रय, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए रू॰ 8,08,819=00 मात्र तथा 5 अदद **Water Purifier (RO) with Chiller** के क्रय, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए रू॰ 5,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 13,08,819=00 (तेरह लाख आठ हजार आठ सौ उन्नीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि संस्थान को विमुक्त करने करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 के पत्रांक–19, दिनांक 04.02.2020 द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान में 100 (एक सौ) **Dual Desk** के क्रय, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए रू॰ 8,08,819=00 मात्र तथा 5 अदद **Water Purifier (RO) with Chiller** के क्रय, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए रू॰ 5,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 13,08,819=00 (तेरह लाख आठ हजार आठ सौ उन्नीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि संस्थान को विमुक्त करन की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104 –बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होगें।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, पटना से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से प्रक्रिया पालन के साथ नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपस्कर एवं सामग्रियों की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई उपस्कर एवं सामग्रियों की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं अधियाचना से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना– 21/ 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना– 21/ 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना– 21/ 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना– 21/ 2019– 1014 /पटना, दिनांक– 13.3.2020

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.3.20
सरकार के उप सचिव